शीर्ष प्राथमिकता

प्रेषक, संख्या 4/10727 /52-1-13-1(102)/13

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,
इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनु0-1 **लखनऊ : दिनांक 19 दिसम्बर, 2013**

विषय: बारहवीं पंचवर्षीय योजना में मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में स्वीकृत 24 प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण हेतु केन्द्रांश की प्रथम किश्त एवं उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त कार्यो को कुल अनुमोदित लागत से करने हेतु **कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को कार्यदायी संस्था नामित करने एवं अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-3/19(31)/2012-पी0पी0, दिनांक 27-09-2013 से कुल अनुमोदित केन्द्रांश रू0 36.18 लाख (रू0 छत्तीस लाख अट्ठारह हजार मात्र, के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त रू0 1809,000/- (रू0 अट्ठारह लाख नौ हजार मात्र), तथा उसके सापेक्ष बनने वाला राज्यांश रू0 6,03000/- (रू0 छः लाख तीन हजार मात्र) अर्थात् कुल रू0 24,12000/- (रू0 चौबीस लाख बारह हजार मात्र) योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 में प्राविधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 908.201 लाख में से अवमुक्त कर आपके नियंत्रण पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रू0 लाख में)

क	जनपद	योजना	इकाई	इकाई लागत	कुल अनुमोदित केन्द्रांश	कुल राज्यांश	कुल लागत	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित प्रथम किश्त		कुल प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	महराज गंज	प्राइमरी एवंउच्च् प्राइमरीस्कूलो में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष	24	2.01	36.18	12.06	48.24	18.09	6.03	24.12
						योग=	48.24	18.09	6.03	24.12

http://shasanadesh.up.nic.in

1. अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मेनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय के वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।
2. अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था **'' कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ''** के निदेशक को हस्तान्तरित की जायेगी। कार्य को 03 माह में गुणवत्त एवं विद्यालय भवन के मानक के अनुसार अनुमोदित लागत से पूर्ण किया जायेगा। निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक, के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।
3. अवमुक्त धनराशि का व्यय योजना में अनुमोदित कार्य मदों पर योजना के मार्ग-निर्देशों तथा समग्र-2 पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों की अधीन किया जायेगा। निर्माण कार्य में शासनादेश संख्या-821/52-1-09-1(1)/09, दिनांक 30 मार्च, 2009 के प्राविधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. योजना की गाइड लाइन तथा शासन द्वारा समय-2 पर जारी दिशा-निर्देशों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए धनराशि का आहरण कार्य की वास्तविक आवश्यतानुसार किया जायेगा। निर्माण कार्य में पायी गयी किसी तरह की अनियमितता के लिए कार्यदायी संस्था, उससे सम्बन्धित अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
5. यथावश्यक उत्तर प्रदेश भण्डार क्रय नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 लखनऊ राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शिड्यूल रेट एवं विशिष्टयों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की डिजाइन वही होगी जो राज्य/केन्द्र सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित है।
7. अवमुक्त धनराशि के उपभोग में मितव्ययितापूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
8. जिलाधिकारी द्वारा समय-2 पर निर्माणधीन विद्यालय भवन की गुणवत्ता की जॉच करायी जायेगी, ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हों। धनराशि के व्यय करने का हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, निर्माण कार्य के फोटोग्राफस एवं ग्रामों/स्थलों की सूची की 02-02 प्रतियां निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगीं। तदोपरान्त निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपभोग प्रमाण-पत्र व अन्य अभिलेख शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।
9. उक्त निर्माण कार्य हेतु निर्विवाद रूप से भूति की उपलब्धता की पुष्टि कर लेंगे।
10. इस योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का 01 पृथक लेखा अनुदान ग्राही **(Grantee)** द्वारा मेन्टेन किया जायेगा ।
11. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक **''4235-ससामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-सामाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित**

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>योजनायें- 0107-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय प्राइमरी स्कूलों का भवन निर्माण/अति0 कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0-65-रा0-35-के0+रा0) 24 –वृहद निर्माण कार्य''</u> के नामें डाला जायेगा।

12. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-11-1467 (2)/दस-13 दिनांक 2-12-13 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्य:</u> 10727 **<u>(1)/बावन-1-2013तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
7- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु अपने स्तर से भी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
8- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ यह भी सुनिश्चित करंगे कि उक्त स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण हेतु केन्द्र अथवा राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से अनुदान प्राप्त किया गया हो।
9- निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष का समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने का कष्ट करें।
10- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ ।
11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी महराजगंज ।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति ।
13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
14- गार्ड फाइल।

http://shasanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in